रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/95.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 29 अप्रैल, 1995/9 वैशाख, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 अप्रैल, 1995

संख्या एल0 एस0 जी0-डी (1) 2/84-III.—रण्डाघाट (श्रीनगर) का क्षेत्र, जो उस समय शिमला जिला की क्षेत्रीय अधिकारिता में था, को ईस्ट पंजाब अर्बन रेन्ट रैस्ट्रिक्शन ऐक्ट, 1949 की धारा 2 के खण्ड (जे) के अधीन पंजाब सरकार के राजपत्र तारीख 9-7-1965 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 5695-आई. सी0 आई-65-23008, तारीख 29-6-1965 द्वारा नगरीय क्षेत्र घोषित किया गया था ।

तत्पश्चात ईस्ट पंजाब अर्बन रेन्ट रैस्ट्रिक्शन ऐक्ट, 1949 को दी हिमाचल प्रदेश अर्बन रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट, 1971 द्वारा निरसित कर दिया गया था, जबकि उक्त अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय किसी अन्य न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष सभी वाद और अन्य सभी कार्यवाहियां सुरक्षित रखी और निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निपटाए जाऐंगे । दी हिमाचल प्रदेश रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट, 1971 को भी हिमाचल प्रदेश किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 द्वारा निरसित कर दिया गया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना को तुरन्त प्रभार से विखंडित करते हैं । परन्तु *यथास्थिति* उक्त निरसित अधिनियमों या हिमाचल प्रदेश किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 के अधीन विभिन्न न्यायालयों और प्राधिकरणों में, यदि कोई हो, जो उक्त क्षेत्र पर अधिकारिता रखते हों में संस्थित मामले यथास्थिति उक्त

1015-राजपत्र/95-29-4-95—1,232. मूल्य : 1 रुपया ।

निरसित अधिनियमों या हिमाचल प्रदेश किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 के उपबन्धों के अनुसार निपटाए जाएंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English text of this Department notification No. LSG-D* (1)-2/84-*III*, *dated* 18-4-1995 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 18*th April*, 1995

No. LSG-D (1)-2/81-III.—Whereas the area of Kandaghat (Sirinagar) which was under the territorial jurisdiction of Shimla district at that time, was declared as urban area under clause (j) of section 2 of the East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949 *vide* notification No. 5695-ICI-65-230 8, dated 29-6-1965 and published in the Punjab Government Gazette dated 9-7-1965.

Whereas thereafter the East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949, was repealed by the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1971, while all suits and other proceedings under said Act, pending at the commencement of this Act, before any Court or othe authority were saved and to be disposed off in accordance with the provisions of repealed Act. The Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1971 has also been repealed by the Himachal Pradesh Rent Control Act, 1987.

Now, in exercise of the powers conferred by clause (k) of section 2 of the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987 read with section 29 of the Himachal Pradesh General clauses Act, 1968, the Governor, Himachal Prdaesh, is pleased to rescind the said notification with immediate effect. Provided that the areas institution under the said repealed Acts or the Himachal Pradesh Rent Control Act, 1987 as the case may be in various courts and other authorities if any, having jurisdiction over said area shall be disposed off in accordance with the provisions of the said repealed Acts, or the Himachal Pradesh Rent Control Act, 1987, as the case may be.

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-*Secretary*.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।